LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Wednesday, 28 June 2017 / 07 Ashaadha 1939 (*Saka*)

No. 51

2.05 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

National Song (Vande Mataram)

1. 2.06 PM **Obituary Reference:**
The House observed two minutes silence on the brutal killing of Deputy Superintendent of J & K Police Shri Ayyub Khan Pandith and the armed forces personnel who laid down their lives fighting terrorists in Kashmir.

2. 2.16 PM **Special Mention (Rule 280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
   1. Shri Anil Kumar Bajpai
   2. Shri Avtar Singh Kalkaji
   3. Shri Rajesh Rishi
   4. Shri Som Dutt (Minister of PWD intervened)
   5. Shri Saurabh Bharadwaj
   6. Shri Jarnail Singh
   7. Shri Kartar Singh Tanwar
   8. Shri Manjinder Singh Sirsa
   9. Shri Gulab Singh
   10. Shri Adarsh Shastri

3. 2.40 PM **Two persons shouted slogans and threw paper slips from the visitors' gallery.**
Pandemonium ensued.
The Chair adjourned the House due to disturbance in the proceedings.

4. 3.51 PM **House reassembled**
Hon'ble Speaker in- Chair.

5. 3.52 PM **Presentation of Report:**
Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker presented the **Third Report of the Rules Committee.**

6. 3.53 PM **Paper laid on the Table:**
Shri Satyendra Kumar Jain, Hon'ble Minister of Urban Development laid copies of the Annual Report of DUSIB for the year 2015-16 (English Version) on the Table of the House.

7. 3.54 PM **Motion seeking imprisonment of contempnors:**
Shri Saurabh Bharadwaj moved the following Motion with the leave of the House:
"Noting that the two persons namely Mr. Jagdeep and Mr. R. Kumar who shouted slogans from the visitors' gallery and threw pamphlets have committed a serious breach of privilege of the Members and contempt of the House ;
This House resolves that Mr. Jagdeep and Mr. R. Kumar be immediately sent to rigorous imprisonment for a period of 30 days starting today."
The Motion was put to vote and was adopted with voice vote.
Sh. Saurabh Bhardwaj requested for a division of votes.
All the 61 Members stood up in favour of the Motion. None opposed the Motion.
The Motion was adopted unanimously.

8. 4.04 PM **Government Resolution (Rule-90):**

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Law & Justice moved the following Resolution with the leave of the House:

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 28 June, 2017:

Taking note of the fact that there are thousands of families living in different area of Delhi such as Najafgarh, Matiala, Mundka, Kanjhawala, Mehrauli, Narela etc, who had been allotted small parcels of Gram Sabha land way back in the 1970s and early 80s, including the allotments made under the Government of India's 20-point programme;

Dismayed by the fact that these persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) have not been declared as Bhumidars under the DLR Act, despite having reclaimed the waste land and continue to be in possession carrying out agricultural activities;

Noting that Section 74 (4) of the DLR Act makes it clear that once a person was admitted as Asami then, at the end of five years, it was duty of the Gram Sabha to report to the Revenue Assistant the extent to which reclamation has been made by such person and thereafter it was duty of the Revenue Assistant to carry out necessary enquiry and after hearing the Asami, either order the termination of the lease and his ejectment if there has been no reclamation or extend his lease for another period of two years;

Also noting that if, however, the land has been duly reclaimed during the period of five years or during the extended period, the Revenue Assistant shall direct the Gram Sabha to admit the Asami as Bhumidar under section 73;

Brings to the notice of the Hon'ble Lieutenant Governor the Cabinet decision No 1891 dated 21.05.2012 approving the grant of Bhumidari rights to original allottees or their next of kin or legal heirs, if they are still in possession of the said land parcels and are carrying out agricultural activities;

Strongly urges the Hon'ble Lieutenant Governor that all the persons who were admitted as Asamis under section 74 of the Delhi Land Reforms Act (1954) be declared as Bhumidars, at once."

The following members participated in the discussion :

1. Shri Kartar Singh Tanwar
2. Shri Madan Lal
3. Shri Naresh Yadav
4. Shri Gulab Singh
5. Shri Manjinder Singh Sirsa
6. Shri Mahender Yadav
7. Shri Jagdish Pradhan
8. Shri Mohinder Goel
9. Shri Sukhbir Singh Dalal
10. Shri Ajesh Yadav
11. Shri Rituraj Govind
12. Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister for Social Welfare

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister also made a brief statement.

(**Shri Manjinder Singh Sirsa, MLA of BJP** was named by the Chair and asked to withdraw from the House as he was disrupting the Hon'ble Chief Minister constantly. As Shri Manjinder Singh Sirsa refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.)

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Law & Justice replied to the discussion and moved that the Resolution be passed.

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

9. 5.49 PM **Directions from the Chair:**

1. The Chair directed the Ministers to ensure the presence of the concerned Pr. Secretary/Secretary/Head of Deptt. and the Chief Secretary in the officers gallery when issues related to their Departments were taken up for discussion in the House.
2. The Chair directed the Hon'ble Members to recommend the names of persons for visitors' gallery only if they were personally assured about the visitors' antecedents. He also directed that applications for passes should not be entertained unless they bear the signature & stamp of the MLAs and enclosed with copies of photo I. Cards of the visitors duly attested by MLA. He also directed that telephonic requests for issue of passes will not be accepted.

10. 5.51 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Thursday, 29 June 2017.**

Delhi
28 June, 2017

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
बुधवार, 28 जून, 2017/07 आषाढ़, 1939 (शक)

संख्या–51

2.05 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम्

1.	2.06 बजे	**निधन संबंधी उल्लेख :** सदन नें जम्मू–कश्मीर पुलिस के उप–अधीक्षक श्री अयूब खान पंडित तथा सशस्त्र बलों के जवानों की निर्ममतापूर्वक हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया गया।
2.	2.16 बजे	**विशेष उल्लेख (नियम–280) :** निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :– 1. श्री अनिल कुमार बाजपेई 2. श्री अवतार सिंह कालका जी 3. श्री राजेश ऋषि 4. श्री सोम दत्त (लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया) 5. श्री सौरभ भारद्वाज 6. श्री जरनैल सिंह 7. श्री करतार सिंह तंवर 8. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा 9. श्री गुलाब सिंह 10. श्री आदर्श शास्त्री
3.	2.40 बजे	**दर्शक दीर्घा में दो व्यक्तियों ने नारेबाजी की और सदन में पर्चे फैंके।** **सदन में शोर–शराबा।** **अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही में बाधा होने के कारण सदन स्थगित किया।**
4.	3.51 बजे	**सदन पुनः समवेत हुआ।** **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
5.	3.52 बजे	**प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरणः** **सुश्री राखी बिडला,** माननीय उपाध्यक्ष ने **नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन** प्रस्तुत किया।
6.	3.53 बजे	**सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :** **श्री सत्येन्द्र कुमार जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री** ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वित्त वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (अंग्रेजी) सदन पटल पर प्रस्तुत की।
7.	3.54 बजे	**अवमाननाकारियों के कारावास हेतु प्रस्तावः** श्री सौरभ भारद्वाज ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः "यह देखते हुए कि श्री जगदीप तथा श्री आर. कुमार नामक दो व्यक्त्यिों ने दर्शक दीर्घा से नारेबाजी करके तथा पर्चे फैंककर सदस्यों के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है और सदन की अवमानना की है। यह सदन संकल्प करता है कि श्री जगदीप तथा श्री आर. कुमार को आज से प्रारम्भ होकर तीस दिनों की अवधि के लिए कठोर कारावास में भेजा जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ। श्री सौरभ भारद्वाज ने मत–विभाजन की मांग की। सभी 61 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। किसी ने भी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।
8.	4.04 बजे	**सरकारी संकल्प (नियम–90):** **श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री** ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :– ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 28 जून. 2017 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में : इस तथ्य पर गौर करते हुए कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे–नजफगढ़, मटियाला, मुण्डका, कंझावला, महरौली, नरेला इत्यादि में रह रहे हजारों परिवारों को काफी समय पूर्व 1970 के दशक के दौरान तथा 1980 के दशक के प्रारम्भ में ग्राम सभा की भूमि के छोटे टुकड़े आबंटित किये गये थे, जिनमें भारत सरकार के 20–सूत्रीय कार्यक्रम के तहत किये गये आबंटन भी सम्मिलित हैं; इस तथ्य के प्रति निराशा जाहिर करते हुए कि इन व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (1954) की धारा–74 के तहत आसामी स्वीकार किया गया था, उनके द्वारा बंजर जमीन कृषि योग्य बनाये जाने तथा कृषि गतिविधियों के लिए लगातार इनके कब्जे में रहने के बावजूद, उन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमिधर घोषित नहीं किया गया है;

		यह ध्यान देते हुए कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 74 (4) यह स्पष्ट करती है कि एक बार जिस व्यक्ति को आसामी स्वीकार कर लिया जाता है, तब पांच वर्षों की समाप्ति के बाद यह ग्राम सभा का दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस हद तक भूमि–उद्धार किया गया है, उसके संबंध में राजस्व सहायक को रिपोर्ट करे तथा उसके बाद राजस्व सहायक का यह दायित्व है कि वह आवश्यक जांच करे तथा आसामी की सुनवाई के बाद, यदि कोई भूमि–उद्धार नहीं हुआ है तो पट्टे को रद्द करने का और उसकी बेदखली का आदेश दे या दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टे को आगे बढ़ाये; यह भी देखते हुए कि यदि, पांच वर्षों की अवधि के दौरान या बढ़ी हुई अवधि के दौरान, भूमि का विधिवत रूप से सुधार हुआ है तो राजस्व सहायक, ग्राम सभा को धारा–73 के तहत आसामी को भूमिधर स्वीकार करने का निर्देश देगा; माननीय उपराज्यपाल महोदय का ध्यान कैबिनेट के निर्णय संख्या 1891 दिनांक 21.05.2012 की ओर दिलाती है, जिसमें मूल आबंटियों या उनके अगले वारिस या कानूनी वारिस को भूमिधारी के अधिकार देने की अनुमति दी गई थी, यदि उक्त भू–खण्डों पर अब भी उनका कब्जा है और वे कृषि गतिविधियां कर रहे हैं; माननीय उपराज्यपाल महोदय से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करती है कि उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (1954) की धारा–74 के तहत आसामी स्वीकार किया गया था, उन्हें तत्काल भूमिधर घोषित किया जाये।'' निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः– 1. श्री करतार सिंह तंवर 2. श्री मदन लाल 3. श्री नरेश यादव 4. श्री गुलाब सिंह 5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा 6. श्री महेन्द्र यादव 7. श्री जगदीश प्रधान 8. श्री महेन्द्र गोयल 8 श्री सुखबीर सिंह दलाल 9 श्री अजेश यादव 10 श्री रितु राज गोविंद 11 श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री **श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री** ने भी संक्षिप्त वक्तव्य दिया। (भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किया गया तथा सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वह माननीय मुख्यमंत्री के भाषण को लगातार बाधित कर रहे थे। चूंकि श्री मनजिंदर सिंह सिरसा स्वेच्छा से बाहर नहीं गये, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने का निर्देश दिया।) **श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया और प्रस्ताव किया कि संकल्प को पारित किया जाये। संकल्प को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
9.	5.49 बजे	**अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देशः** 1. अध्यक्ष महोदय नें मंत्रियों को निर्देश दिया कि जब उनके विभागों से संबंधित मामलों पर सदन में चर्चा की जा रही हो, वे अधिकारी दीर्घा में संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्षों और मुख्य सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करें। 2. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को निर्देश दिया कि वे दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पास बनवाने के लिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार न किये जायें जब तक उनपर विधायकों के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पास जारी करने के लिए टेलीफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10.	5.51 बजे	**अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 29 जून, 2017 को अपराहून 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
28 जून, 2017

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव